

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु बिन्दुवार विवरण-**

i.	The particulars of its organisation, function and duties;	अपने संगठन की विशिष्टया, कृत्य और कर्तव्य:	विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, में उल्लिखित है जिसका अवलोकन इस लिंक से किया जा सकता है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php">https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php</a></b>
ii.	The powers and duties of its officers and employees;	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तिय और कर्तव्य:	विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा 14-18 एवं प्रथम परिनियमावली, अद्यतन संकलित प्रारूप, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 20 मार्च 2020 में उल्लिखित है, जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php">https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php</a></b>
iii.	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:	विश्वविद्यालय में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन को जीने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं, का उल्लेख उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा: 19, 21-23, 25-30, 45, 47, 49, 51 व 53 में है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php">https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php</a></b>
iv.	The norms set by it for the discharge of its function;	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड:	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड का उल्लेख दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php">https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php</a></b>
v.	The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its function	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिनियमावली-2010, द्वितीय संस्करण में उल्लिखित अभिलेख, नियम व विनियम, अनुदेश शासनादेश, अध्यादेश, निर्देशिका, विवरणिका इत्यादि लिंक निम्नवत है: <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php">https://ddugu.ac.in/newweb/act-statutes.php</a></b>
vi.	A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण,	विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के नियंत्रणाधीन अनुभागों द्वारा अपने अपने अनुभाग से संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों को धारित किया जाता है।

vii.	The particulars of any arrangement that exists for consultation representation with. by. or the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of:	किसी व्यवस्था की विशिष्टिया, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ (IQAC) एवं विश्वविद्यालय की सभा (Court) में जनता के सदस्यों से परामर्श की व्यवस्था विद्यमान है जिसका लिंक निम्नवत् है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/iqac.php">https://ddugu.ac.in/newweb/iqac.php</a></b> उक्त के साथ साथ अभ्यावेदन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम आई०जी०आर०एस०, लोक शिकायत एवं विद्यार्थी शिकायत की व्यवस्था विद्यमान है। जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है- <b><a href="https://erp.ddugu.ac.in/StudentUG/StuComp.aspx">https://erp.ddugu.ac.in/StudentUG/StuComp.aspx</a></b>
viii.	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित की धारा-25, (विद्या परिषद्), धारा-26, (वित्त समिति) धारा-27, (प्रवेश समिति), धारा-29, परीक्षा समिति की बैठकों जनता के लिए खुली नहीं होगी किन्तु बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:-  <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/academic-council.php">https://ddugu.ac.in/newweb/academic-council.php</a></b> <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/finance-committee.php">https://ddugu.ac.in/newweb/finance-committee.php</a></b> <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/admission-notice.php">https://ddugu.ac.in/newweb/admission-notice.php</a></b> <b><a href="https://ddugu.ac.in/newweb/examination-committee.php">https://ddugu.ac.in/newweb/examination-committee.php</a></b>
ix.	A directory of its officers and employees;	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका का अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:- <b><a href="https://ddugu.ac.in/nonteachstaffnew.aspx">https://ddugu.ac.in/nonteachstaffnew.aspx</a></b>
x.	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वही मासिक पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है जो शासन द्वारा अपने विनियमों में यथा उपबंधित होते हैं।

xi.	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and a reports on disbursements made;	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदशिता करते हुये आने प्रत्येक अभिकरण, को आवंटित बजट	विश्वविद्यालय बजट का मदवार प्रस्तावित व्यय का विवरण निम्न लिंक से अवलोकित किया जा सकता है। <a href="https://erp.ddugu.ac.in/budget/Budget_DDUGU_2024-25.pdf">https://erp.ddugu.ac.in/budget/Budget_DDUGU_2024-25.pdf</a>
xii.	The manner of execution of subsidy including programmes. the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है	भुगतान पंजिका, अग्रिम पंजिका एवं प्राप्ति पंजिका। विश्वविद्यालय द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है इसलिए उक्त प्रस्तर विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता है।
xiii.	Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it;	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः रियायत दिये जाने की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं हैं।
xiv.	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	विश्वविद्यालय की वेबसाईट <a href="https://ddugu.ac.in">https://ddugu.ac.in</a> पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएं इत्यादि समय.समय पर अपडेट की जाती हैं।
xv.	The particular of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	नागरिकों द्वारा प्रार्थना पत्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम, ई.मेल एवं आई०जी०आर०एस० व्यवस्था से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों, छात्रों, अधिकारियों, शिक्षकों कर्मचारियों, सम्बद्ध महाविद्यालयों से आने वाले शोधार्थियों, छात्रों व शिक्षकों के अध्ययन के लिए प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुली रहती है।
xvi.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	<b>प्रथम अपीलीय अधिकारी</b> -प्रो० अहमद नसीम, अधिष्ठाता विधि संकाय, मो०-7860941509 <b>जनसूचना अधिकारी</b> - श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कुलसचिव, मो०-9721514635 <b>कुलसचिव द्वारा नामित जनसूचना अधिकारी / नोडल जनसूचना अधिकारी</b> -श्री चन्द्रेश कुमार धीमान उप कुलसचिव मो०-9598614797
xvii.	Such other information as may be prescribed; and thereafter update publication every year; these	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा	विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षान्त पुस्तिका एवं समय.समय पर अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एवं उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन द्वारा समय.समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।